International Journal of Advanced Educational Research
ISSN: 2455-6157
Impact Factor: RJIF 5.12
www.educationjournal.org
Volume 3; Issue 2; March 2018; Page No. 265-268

मुगलकालीन भू–राजस्व व्यवस्थाः एक अध्ययन

परवीन जहाँ
शोधछात्रा, जे0आर0एफ0, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग, इलाहाबाद, विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत।

प्रस्तावना

मुगलकाल में भू–राजस्व राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। शासक के लिए विशाल सेना का प्रबन्ध करने, शान–शौकत पूर्ण एवं विलासमय जीवन व्यतीत करने, विशाल प्रशासन को संचालित करने, अपने उमरा वर्ग के जीवन स्तर को उच्च बनाये रखने तथा अपने व्यक्तिगत राजनीतिक आदर्शों को प्राप्त करने हेतु आपार धन व्यय करना पड़ता था। राज्य को भू–राजस्व के अतिरिक्त अन्य स्रोतों जैसे जजिया, जकात, खम्स, गनीमद (युद्ध से प्राप्त माल का 1/5 भाग), अमीरों की मृत्यु पर राजसत् की गई उनकी सम्पत्ति, वस्तुओं पर एकाधिकार, नमक कर, चुँगियों, खानों से आय, टकसालों से आय, उपहार में प्राप्त धन इत्यादि से आय हो जाती थी।[1] परन्तु भू–राजस्व से प्राप्त धन की तुलना में शेष स्रोतों से प्राप्त आय की मात्रा बहुत ही कम होती थी। अतः भू–राजस्व ही साम्राज्य की आय का प्रमुख स्रोत होने के कारण मुगल शासकों ने दिल्ली के सुल्तानों की भांति भू–राजस्व को अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए इस व्यवस्था की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया। मुगल साम्राज्य के प्रथम शासक बाबर नें पूर्वकाल से चली आ रही भू–राजस्व–व्यवस्था को समय न मिलने के कारण पूर्व की भाँति यथावत् बनाये रखा और साम्राज्य की विविध प्रशासनिक इकाईयों से स्थानीय अधिकारी पूर्ववत भू–राजस्व वसूली करते रहे। बाबर ने अपने साम्राज्य का कुछ भू–भाग मुगल अमीरों तथा कुछ अफगान अमीरों को जागीर[2] के रूप में प्रदान किया। कन्नौज से बिहार तक के प्रदेशों की शासन–व्यवस्था अफगान 'वजहदारों' को प्रदान की गई, जिन्होंने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। 'वजहदार' वे लोग कहलाते थे, जिन्हें निश्चित क्षेत्र का भू–राजस्व प्रदान किया जाता था तथा वे उससे प्राप्त होने वाली धनराशि अपने परिवार तथा अपने सैनिकों पर व्यय करते थे।[3] इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी अमीर थे जिन्हें कई परगनों के प्रशासन तथा उनकी भू–राजस्व की वसूली का उत्तरदायित्व प्रदान किया गया। साम्राज्य में कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे, जिन्हें बाबर ने खालसा घोषित किया, परन्तु कहीं–कहीं उसने सम्पूर्ण प्रदेश के कुछ भाग को ही खालसा घोषित किया।[4] जहाँ जमींदारों का संबंध है बाबर ने प्रशासन में उनकी भी सहायता प्राप्त की। बाबर ने जब देखा कि 'वजहदार' भ्रष्ट होने लगे तथा उसे आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ा तो उसने आदेश दिया कि उनके राजस्व आवंटन का 30 प्रतिशत वसूल किया जाये तथा वह धनराशि सेना पर खर्च की जाये।

हुमायूँ के शासनकाल में भी भू–राजस्व के क्षेत्र में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया। परन्तु उसके राज्यकाल में भू–राजस्व की दर अकबर के समय से कम थी। हुमायूँ के राज्यकाल में एक 'खरबार' (आठ मन से कुछ अधिक) अनाज पर दो बाबरी तथा चार टंके भू–राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था।[5] हुमायूँ को पराजित करने के पश्चात् शेरशाह सुल्तान बना। उसने भू–राजस्व के क्षेत्र में क्रान्तिकारी सुधार किये। यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि उसने अकबर कालीन भू–राजस्व सुधारों के लिए मार्ग दर्शन किया। शेरशाह ने 'गज–सिकन्दरी' के द्वारा भूमि की बीघों में पैमाइश[6] कराई तथा प्रत्येक बीघा का क्षेत्रफल 3600 वर्ग गज था। उपज के आधार पर भूमि का उत्तम, मध्यम एवं निकृष्ट तीन श्रेणियों में विभाजन किया गया।[7] कृषक से औसत उपज का एक तिहाई भू–राजस्व के रूप में वसूल किया गया। कृषक तथा राज्य के बीच पट्टा[8] तथा कबूलियत की व्यवस्था की गई। अकाल तथा अन्य प्रकोपों से फसल के नष्ट होने पर राज्य की ओर से सहायता देने की व्यवस्था की गई।

परन्तु शेरशाह सूरी की मृत्योपरान्त साम्राज्य में अराजकता व्याप्त हो गई जिससे उसके भू–राजस्व सम्बन्धी सुधार विनष्ट हो गये। अतः अकबर जब सिंहासनारूढ़ हुआ तो उसने भू–राजस्व के पुनर्गठन का प्रयास किया। इस उद्देश्य से उसने 1560 ई0 में अब्दुल मजीद आसफ खां को दीवान नियुक्त किया।[9] उसने अमीरों को प्रसन्न रखने के लिए उनकी जागीरों के काल्पनिक आँकड़े लिखवा डाले जिससे भविष्य में अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न हुयीं तथा राजकोष को हानि हुई। अतः अकबर ने 1563 ई0 में उसके स्थान पर एतमाद खां को खालसा भूमि का दीवान नियुक्त किया।[10] उसने सर्वप्रथम खालसा भूमि को जागीर भूमि से अलग किया। राजधानी के निकटवर्ती क्षेत्रों के मूल्यों को आधार मानकर सम्पूर्ण साम्राज्य के भू–राजस्व को नकदी में परिवर्तित किया गया। 1564 ई0 में अकबर ने मुजफ्फर खां तुरबती[11] को दीवान के पद पर नियुक्त किया, जिसने काल्पनिक आँकड़े के स्थान पर वास्तविक आँकड़े एकत्रित कराने का प्रयास किया। इस कार्य के लिए उसने 'कानूनगों' नियुक्त किये तथा वास्तविक आँकडे के आधार पर भू–राजस्व का 'जमा हाल हासिल' नामक एक नवीन लेखा तैयार करवाया। 1568 ई0 में शिहाबुद्दीन अहमद खां को खालसा भूमि का दीवान नियुक्त किया गया।[12] उसने प्रतिवर्ष भू–राजस्व निर्धारण की व्यय साध्य प्रणाली के स्थान पर नस्क प्रणाली चालू की, जिसके द्वारा शासन तथा कृषक के मध्य पारस्परिक बंदोबस्त की व्यवस्था की गई।

1570 ई0 में जब गुफ्फार खाँ तुर्बती को दूसरी बार दीवान के पद पर नियुक्त किया गया तो उसने भू–राजस्व व्यवस्था के पुनर्गठन का निश्चय किया। अब उसने भूमि की पैमाइश तथा उसकी उपज के आधार पर भू–राजस्व निर्धारित करने का निर्णय लिया। 1523 ई0 के बाद जागीर भूमि को कम करके एक बहुत बड़ा भू–भाग खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया गया।[13] भूमि की पैमाइश के लिए सुल्तान सिकन्दर लोदी के समय के गज़ को अपनाया गया तथा 3600 वर्ग गज का एक बीघा निश्चित किया गया।[14] परन्तु उसमें जूट की रस्सी के स्थान पर लोहे की कड़ियों से जुड़े बास की कमचियों का प्रयोग किया, जिसका नाम 'जरीब' रखा गया जो रस्सी की भाँति घट–बढ़ नहीं सकता था।[15] साम्राज्य की खालसा भूमि पर 182 करोड़ी नियुक्त किए गए।[16] इनकी सहायता के लिए कारकुन एवं फोतदार नियुक्त थे। 1580ई0 तक राजस्व विभाग के

पास पर्याप्त आँकड़े एकत्रित हो गए। इसी वर्ष साम्राज्य को बारह प्रान्तों में विभाजित किया गया।

भू–राजस्व निर्धारण करने के लिए भूमि को उपज के आधार पर चार वर्गों में विभाजित किया गया जिन्हें पोलज, परती, चाचर एवं बंजर का नाम दिया गया।[17]। 'पोलज' वह भूमि थी जो प्रत्येक वर्ष दो फसलें देती थी। 'परती' भूमि को एक फसल के पश्चात् बिना जोताई–बोआई के छोड़ दिया जाता था, जिससे कि उसमें उपजाऊ शक्ति आ सके। 'चाचर' वह भूमि थी, जिसे तीन–चार वर्षों तक बिना कृषि के छोड़ रखी जाती थी। 'बंजर' वह भूमि थी जिसे पाँच अथवा अधिक वर्षों तक परती रखी जाती थी। प्रथम दो प्रकार की भूमि अर्थात् पोलज एवं परती भूमि को उत्तम, मध्यम तथा निकृष्ट तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया। इन तीनों श्रेणियों की भूमि से औसत उपज के आधार पर भू–राजस्व निर्धारित किया गया।

भू–राजस्व व्यवस्था में व्याप्त दोषों के उपचार के लिए 1580ई0 में आइने दहसाला[18] अथवा दस वर्षीय बंदोबस्त लागू किया गया। अबुल फज़ल के अनुसार अकबर के राज्यकाल के 15 वें वर्ष से लेकर 24वें वर्ष (1571 से 1580ई0) तक के आँकड़े एकत्रित किए गए जिनसे भू–राजस्व एवं मूल्यों को जोड़कर उसे 10 से विभाजित कर प्रतिवर्ष का औसत निकाला गया तथा इसे वार्षिक नकद भू–राजस्व के रूप में स्वीकार किया गया। अबुल फज़ल लिखता है कि इस प्रकार प्रत्येक परगने की पिछले दस वर्षों (हाले दहसाला) की उपज तथा उसके मूल्यों को एकत्रित किया गया और उसके दसवें भाग को वार्षिक भू–राजस्व (माले–हरसाला) के रूप में स्वीकार किया गया।[19] इस प्रकार अकबर के शासन के चौबीसवें वर्ष (1580ई0) तक 'दस्तूरूल अमल[20] (नियम पुस्तिका) तैयार हो गये, जिसमें प्रत्येक बीघा का नकदी दर दिया हुआ था। प्रो0 इरफान हबीब के अनुसार ये दरें अकबर के 24वें वर्ष की नहीं थीं, अपितु 40वें वर्ष की थी।[21] इस बंदोबस्त में प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जाता था तथा दस वर्षों की औसत उपज निकालने के लिए पहले वर्ष की उपज को घटाकर उसके स्थान पर 11वें वर्ष की उपज उसमें जोड़ दी जाती थी।[22] अकबर के राज्यकाल में अनुभव के आधार पर भू–राजस्व व्यवस्था में सुधार किये जाते रहे। 1582ई0 में भू–राजस्व के लिए खालसा भूमि को चार भागों में विभाजित किया गया तथा प्रत्येक भाग के लिए राजस्व अधिकार की नियुक्ति की गई। अकबर के राज्यकाल में 1588ई0 में भूमि की पैमाइश के लिए 'गज–ए–सिकदंरी' के स्थान पर 'गज–ए–इलाही'[23] का प्रयोग प्रारम्भ किया गया। इन दोनों में 39:41 का अन्तर था। एक बीघा 3600 वर्ग गज का स्वीकार किया गया तथा बीघा का बीसवाँ भाग बिसवा कहलाता था। यद्यपि शाहजहाँ के राज्यकाल में भूमि की पैमाइश की इकाई को पुनः परिवर्तित करने का प्रयास किया गया परन्तु वह अस्थायी सिद्ध हुआ तथा मुगलकाल के अन्त तक साधारणतया 'बीघा–ए–इलाही[24] प्रचलित रहा।

अकबर के शासनकाल में भू–राजस्व वसूली के लिए जब्ती प्रणाली[25] का प्रचलन हुआ, जो भूमि सर्वेक्षण, भू–राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूरूल अमल तथा जब्ती खसरे की तैयारी पर आधारित थी। साम्राज्य के अधिकतर भू–क्षेत्रों में यही प्रणाली प्रचलित थी। दूसरे दूस्तरूल अमल के द्वारा कर्मचारियों की मनमानी पर नियंत्रण लगाया जा सका। तीसरे, दस्तूरूल अमल के कारण वार्षिक भू–राजस्व की प्राप्ति में उतार चढ़ाव की सम्भावना का काफी सीमा तक अन्त हो गया। इस प्रणाली में कुछ दोष भी थे। उन क्षेत्रों में जहाँ भूमि समान श्रेणी की नही थी वहाँ इसे सफलतापूर्वक नहीं लागू किया जा सका। दूसरे उत्पादन में सदैव अनिश्चितता बनी रहती थी।

भू–राजस्व निर्धारण की दूसरी प्रमुख प्रणाली बटाई अथवा गल्लाबख्शी कहलाती थी।[26] 'आईन–ए–अकबरी में तीन प्रकार की बटाई का उल्लेख मिलता है– खेत बटाई, लाक बटाई एवं रास बटाई[27]। खेत बटाई में फसल के तैयार होते ही खेत में खड़ी फसल का विभाजन कर लिया जाता था। लाक बटाई में फसल को काटने के पश्चात खलिहान में लाया जाता था तथा अनाज निकाले बिना ही राज्य एवं किसान के बीच उसका बँटवारा कर लिया जाता था। 'रास बटाई' के अन्तर्गत खलिहान में फसल आने पर राज्य तथा किसान के बीच उपज के बीच बँटवारा कर लिया जाता था।

भू–राजस्व की विभिन्न प्रणालियों में कनकूत[28] अथवा दानाबन्दी प्रणाली भी प्रमुख थी। इस प्रणाली के अन्तर्गत पहले उपज वाली भूमि का पैमाइश की जाती थी और फिर उसके अनुसार भूमि की उपज का अनुमान लगाया जाता था। भू–राजस्व की एक अन्य प्रणाली 'नस्क'[29] भी है। इस प्रणाली के अन्तर्गत न तो भूमि की पैमाइश होती और न तो फसलों का सामायिक विवरण ही तैयार किया जाता था।

राज्य की ओर से प्रत्येक कृषक को पट्टा दिया जाता था, जिसमें उसका नाम, उसकी भूमि तथा क्षेत्र, 'बोई गई फसल का विवरण, भू–राजस्व का अंकन इत्यादि का उल्लेख होता था। इसके बदले कृषक राज्य को कबूलियत प्रदान करता था जो एक प्रकार से स्वीकृत पत्र था। पट्टा तथा कबूलियत[30] राज्य तथा कृषक के बीच एक प्रकार का समझौता था। इससे यह प्रतीत होता है कि भू–राजस्व सीधे कृषक से वसूल किया जाता था। जहाँ तक भुगतान की पद्धति का संबन्ध है 'अमिल'[31] को यह आदेश था कि यदि कृषक नकद नहीं देना चाहता तो अनाज के रूप में भुगतान स्वीकार कर लिया जाये। प्रशासन की ओर से विशेष परिस्थितियों में कृषकों को सहायता भी प्रदान की जाती थी। अकाल पड़ने पर भू–राजस्व में छूट प्रदान की जाती थी[32] तथा कृषकों को तकावी अथवा ऋण भी प्रदान किया जाता था जिस पर कोई ब्याज नहीं लिया जाता था। शाहजहाँ के शासनकाल में 1630–31 के दुर्भिक्ष में बादशाह ने अहमदाबाद में भारी पैमाने पर भू–राजस्व माफ कर दिया था तथा लोगों को राहत पहुँचाने के उद्देश्य से लँगरखाने तथा दानगृह स्थापित कर दिये थे।[33] 1614 ई0 में जब अति वर्षा के फलस्वरूप कश्मीर में फसल खराब हो गई तथा अनाज का अभाव हो गया तो बादशाह ने लोगों में एक लाख रुपया वितरित किये जाने तथा उनके भोजन के लिए लंगरखाने की स्थापना का आदेश दिया था।[34] औरंगजेब का समकालीन इतिहासकार ईश्वरदास नागर 'फुतूहात–ए–फिरोजशाही' में लिखता है कि 1688–89 ई0 में सूबा हैदराबाद में सूखे के कारण बादशाह ने एक वर्ष के लिए जजिया तथा अन्य सभी करों की वसूली बन्द करने का आदेश दिया था।[35]

जहाँगीर के शासनकाल में प्रशासकीय नियंत्रण ढीला हो गया और इसी कारण भू–राजस्व व्यवस्था में ढीलापन आ गया। कृषकों का राज्य से सीधा संपर्क टूटने लगा। मुकद्दमों या जागीरदारों की सेवाएँ भू–राजस्व वसूली के लिए पुनः ली जाने लगी। ये वसूलकर्ता कृषकों से भू–राजस्व के अतिरिक्त धन वसूल करने लगे। कृषकों का शोषण होने से उन्होंने खेती छोड़ दी। इससे राज्य की आय घटी। शाहजहाँ के समय में कृषकों की हालत खराब हो गयी। साम्राज्य की 70 प्रतिशत के लगभग कृषि–भूमि जागीरों में विभक्त हो गयी[36] यही जागीरदार ग्रामों से भूमि कर वसूल करते थे। भू–राजस्व की दर 1/3 से बढ़कर 1/2 कर दी गई।[37] कृषकों को अब उस भूमि पर भी भू–राजस्व देना पड़ता था जिसे उसने परती छोड़ दिया था। इस प्रकार शाहजहाँ के समय में अकबरकालीन टोडरमल बन्दोबस्त समाप्त हो गया तथा 'ठेकेदारी प्रथा'[38] जारी हो गई।

औरंगजेब के शासनकाल में जाब्ती प्रणाली लगभग समाप्त हो गयी। नस्क प्रणाली का व्यवहार बढ़ा, अर्थात् अनुमान के आधार पर तथा साधारण पैमाइश के आधार पर भू–राजस्व निश्चित होने लगा। औरंगजेब ने उपज का 1/2 भू–राजस्व वसूल किया।[39] उसके समय में भी जागीरदारी और ठेकेदारी प्रथा जारी रही। भू–राजस्व वसूली के समय कठोरता बरती जाती थी। राजस्व कर्मचारी बेईमानी और भ्रष्ट होने के साथ–साथ अत्याचारी भी हो गये थे।

अन्त में हम यह देखते हैं कि मुगल शासकों ने भू–राजस्व प्रशासन में विशेष रुचि ली जैसा कि हमें ज्ञात है कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने पहले से चली आ रही व्यवस्था को ही अपनाया वही हुमायूँ के समय में भी भू–राजस्व व्यवस्था में कोई विशेष परिवर्तन देखा नहीं गया और इसके बाद शेरशाह के समय भू–राजस्व व्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार हुआ तथा इसके बाद मुगलों की भू–राजस्व व्यवस्था का वास्तविक संस्थापक अकबर को ही माना गया। मुगलकालीन भू–राजस्व व्यवस्था को एक सुनिश्चित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय अकबर को ही प्राप्त है। इसके बाद जहाँगीर, शाहजहाँ तथा औरंगजेब के समय में धीरे–धीरे वह व्यवस्था शिथिल होती चली गई। अन्त में उत्तर मुगलकालीन बादशाहों के समय में तो यह व्यवस्था पूर्णतया समाप्त हो गई।

संदर्भ

1. आर0पी0 त्रिपाठी, मुगल साम्राज्य का उत्थान एवं पतन, अनुवादक कालिदास कपूर, सेन्ट्रल बुक डिपो प्रकाशन, इलाहाबाद 1961, पृ0 108 एवं बी0एन0 लूनिया, अकबर महान, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल प्रकाशन, आगरा, प्रथम संस्करण 1972, पृ0 382–83
2. एल0पी0 शर्मा, मध्यकालीन भारत, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल प्रकाशन आगरा, तेईसवाँ संशोधित संस्करण, : 2007, पृ0 307
3. लईक अहमद, मुगल कालीन भारत, प्रयाग पुस्तक भवन प्रकाशन, इलाहाबाद, संस्करण, 2007, पृ0 297
4. लईक अहमद, पूर्वोक्त, पृ0 297
5. लईक अहमद, पूर्वोक्त, पृ0 298
6. सतीश चन्द्र, मध्यकालीन भारत, राजनीति, समाज और संस्कृति, अनुवादक नरेश, 'नदीम', ओरियंट ब्लैकस्वान प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण 2009 पृ0 218, एवं डॉ0 आर0पी0 त्रिपाठी, मुगल साम्राज्य का उत्थान एवं पतन, पृ0 108
7. सतीश चन्द्र, पूर्वोक्त, पृ0 219 एवं आर0पी0 त्रिपाठी, पूर्वोक्त, पृ0 108
8. सतीश चन्द्र, पूर्वोक्त, पृ0 219, आर0पी0 त्रिपाठी, पूर्वोक्त, 108
9. लईक अहमद, पूर्वोक्त, पृ0 298 एवं अकबरनामा भाग–2, पृ0–111 (यथा उद्धृत) ए0एल0 श्रीवास्तव, अकबर महान भाग–2, अनुवादक डा0 भगवानदास गुप्त, शिवलाल अग्रवाल प्रकाशन, आगरा, प्रथम हिन्दी संस्करण 1972, पृ0 181
10. ए0एल0 श्रीवास्तव, अकबरनामा भाग–2 पूर्वोक्त, पृ0 183
11. ए0एल0 श्रीवास्तव, पूर्वोक्त, पृ0 183 एवं बी0एन0लूनिया, पूर्वोक्त, पृ0 386–87
12. ए0एल0 श्रीवास्तव, पूर्वोक्त, पृ0 185 एवं आर0पी0त्रिपाठी, पूर्वोक्त, पृ0 189
13. बी0एन0 लूनिया, पूर्वोक्त, पृ0 387–88
14. बी0एन0 लूनिया पूर्वोक्त, पृ0 390
15. ए0एल0 श्रीवास्तव, पूर्वोक्त, पृ0 186 एवं आर0पी0 त्रिपाठी पूर्वोक्त, पृ0 189, एवं आईन–ए–अकबरी, ब्लाखमैन अनुवादक भाग– 2, पृ0 66–67 एवं डा0 इरफान हबीब, द एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया, पृ0 354
16. आर0पी0 त्रिपाठी, पूर्वोक्त, पृ0 189
17. ए0एल0 श्रीवास्तव, पूर्वोक्त, पृ0 187 एवं बी0एन0 लूनिया पृ0 391
18. सतीश चन्द्र, पूर्वोक्त, पृ0 230 एवं आर0पी0त्रिपाठी, पूर्वोक्त, पृ0 190 एवं डा0 ए0 एल0 श्रीवास्तव मुगलकालीन भारती पृ0 505 (यथा उद्धृत) डा0 एम0 पी0 श्रीवास्तव, मध्यकालीन भारत में प्रशासनिक, आर्थिक एवं सामाजिक जीवन, शेखर प्रकाशन इलाहाबाद, प्रथम संस्करण 2006–2007 पृ0 86–88
19. लईक अहमद, पूर्वोक्त, पृ0 299 एवं ए0एल0 श्रीवास्तव, अकबर महान, भाग–2 पृ0 189 एवं अकबरनामा, भाग–3, पृ0 282 (यथा उदधृत) ए0 एल0 श्रीवास्तव, अकबर महान भाग–2, पृ0 189
20. बी0एन0 लूनिया, पूर्वोक्त, पृ0 393 एवं अकबरनामा भाग–3, पृ0 381 (यथा उद्धृत) ए0एल0 श्रीवास्तव, अकबर महान भाग–2, पृ0 202
21. इरफान हबीबी, दि एग्रेरियन सिस्टम ऑव मुगल इण्डिया, पृ0 354 (यथा उद्धृत) लईक अहमद, पूर्वोक्त, पृ0 300
22. डॉ0 आई0 एच0 कुरैशी, दि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर, पृ0 169 (यथा उद्धृत) डा0 एम0पी0 श्रीवास्तव, मध्यकालीन भारत में प्रशासनिक, आर्थिक एवं सामाजिक जीवन, पृ0 89
23. ए0एल0 श्रीवास्तव, अकबर महान भाग–2, पृ0 185 एवं बी0एन0 लूनिया, पूर्वोक्त, पृ0 390 एवं एस0ए0ए0 रिज़्वी द वण्डर दैट वाज इण्डिया, खण्ड–2, पृ0 185, (यथा उद्धृत) डॉ0 लईक अहमद, पूर्वोक्त पृ0 300
24. एस0 के0 पाण्डे, मध्यकालीन भारत, प्रयाग एकेडमी प्रकाशन, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण 2010–2011, पृ0 587 एवं डॉ0 यू0 एन0 डे0, दि मुगल गवर्नमेण्ट, पृ0 122–123 एवं डॉ0 इरफान हबीब, एग्रेरियन सिस्टम, पृ0 354 (यथा उद्धृत) डॉ0 एम0पी0 श्रीवास्त, पूर्वोक्त, पृ0 90
25. हरिश्चन्द्र वर्मा, मध्कालीन भारत, भाग–2, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय प्रकाशन, दिल्ली, विश्वविद्यालय, दिल्ली, द्वितीय संस्करण, 2000, पृ0 395 एवं आर0पी0त्रिपाठी मुस्लिम प्रशासन के कुछ पहलू, अनुवादक सुरेश मिश्र, ग्रंथ शिल्पी प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम हिन्दी संस्करण 2014, पृ0 264–66
26. बी0एन0 लूनिया, पूर्वोक्त, पृ0 395 एवं आर0पी0 त्रिपाठी, मुगल साम्राज्य का उत्थान एवं पतन, पृ0 191 एवं सतीश चन्द्र, मध्यकालीन भारत राजीनति, समाज और संस्कृति पृ0 230
27. बी0एन0 लूनिया, पूर्वोक्त, पृ0 395
28. बी0एन0 लूनिया, पूर्वोक्त, पृ0 395
29. आर0पी0त्रिपाठी, मुगल साम्राज्य का उत्थान एवं पतन, पृ0 191 एवं हरिश्चन्द्र वर्मा, पूर्वोक्त, पृ0 398
30. ए0एल0 श्रीवास्तव, अकबर महान, भाग–2, पृ0 197 एवं एस0 के0 पाण्डे, मध्यकालीन भारत पृ0 588–89
31. बी0 एन0 लूनिया पूर्वोक्त, पृ0 398
32. ए0एल0 श्रीवास्तव, अकबर महान, भाग–2, पृ0 197
33. लईक अहमद, पूर्वोक्त, पृ0 302
34. बी0पी0 सक्सेना, हिस्ट्री ऑव शाहजहाँ ऑव देहली, पृ0 212 ं ण (यथा उद्धृत) लईक अहमद पूर्वोक्त पृ0 302
35. ईश्वरदास नागर, अनुवाद तसनीम अहमद, फुतूहात–ए–आलमगीरी, पृ0 184 (यथा उद्धृत) लईक अहमद, पूर्वोक्त, पृ0 303
36. एल0पी0 शर्मा, मध्यकालीन भारत, पृ0 312
37. ओंकारनाथ उपाध्याय, मध्यकालीन भारत का इतिहास, राम

प्रसाद एण्ड संस प्रकाशन, आगरा–3, संस्करण 1990, पृ0 408
38. ओंकारनाथ उपाध्याय, पूर्वोक्त, पृ0 409 एवं एल0पी0 शर्मा0, पूर्वोक्त, पृ0 312
39. ओंकारनाथ उपाध्याय, पूर्वोक्त, पृ0 409